[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 41/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 अगस्त, 2019.

सा.का.नि........(अ).- केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करदाताओं के निम्नलिखित वर्ग द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की रकम का अधित्यजन करती है :-

(i) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके कारबार का मुख्य स्थान नीचे सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित राज्य में है, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं ;

(ii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके कारबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं ;

(iii) ऐसे इनपुट सेवा वितरक, जिनके कारबार का मुख्य स्थान पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित राज्य में है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-6** में विवरणी, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दी है ;

(iv) ऐसे इनपुट सेवा वितरक, जिनके कारबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-6** में विवरणी, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दी है ;

सारणी

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**जिला का नाम**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	बिहार	अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण ।
2.	गुजरात	बदोदरा ।
3.	कर्नाटक	बागलकोट, बेल्लारी, बेलाग्वी, चामराजनगर, चिकमगलुर, दक्षिण कन्नड़, देवांगिरी, धारवाड़, गड़ग, हसन, हावेरी, कलाबुर्गी, कोड़ागु, कोप्पल, माण्डया, मैसूर, रायचूर, शिवामोग्गा, उदीपी, उत्तर कन्नड़, विजयपुरा, यादगिर ।
4.	केरल	इडुक्की, मलप्पुरम, वायनाड, कोझीकोड ।
5.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालधार, नासिक, अहमदनगर ।
6.	ओड़िशा	बालंगीर, सोनपुर, कालाहाण्डी, नुवापाड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, नबरंगपुर ।
7.	उत्तराखंड	उत्तरकाशी और चमोली

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

(रुचि विष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार